[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] तहसील [illegible] राजस्थान [illegible] के विरूद्ध इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम [illegible] तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 84 रकबा 1.57 हैक्टयर प्रार्थी की खातेदारी [illegible] व कब्जा काश्त की आराजी है तथा आराजी खसरा नम्बर 86 रकबा 0.18 हैक्टयर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी है। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 8 से 14 25, 26, 30 से 34 ने अपने हिस्सा की आराजी से अधिक भूमि में देवताओं का पुख्ता चबूतरा बना रखा है तथा प्रार्थी ने अपने हिस्सा की आराजी में खसरा नम्बर 84 तक आने जाने का रास्ता एवं खसरा नम्बर 158 में स्थित सी.सी. सडक से शुरू कर बना रखा है जिसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 84 तक आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। गैरसायलान ने दिनांक 3–9–17 को एलानिया धमकी दी कि तुम यहां होकर नहीं निकलोगे हम लटठ के बल पर रास्ता बन्द कर देगें। यदि गैरसायलान अपनी योजना में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी इसलिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना जरूरी हुआ है। प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 158 से आराजी खसरा नम्बर 84 तंक आराजी खसरा नम्बर 86 में स्थित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज पप्पूराम बनाम सरकार साहबसिंह वगैरा मु. सं.

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये। गैरसायलान तामील के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुये इसलिये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

हमने प्रार्थी के विद्वान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी जिसका मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 84 रकबा 1.57 हैक्टयर की खातेदारी पप्पू पुत्र भोला जाति गूजर सा. देह राहिन बीओबी शाखा खेडला बुजुर्ग मुर्तहिन की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इससे यह तथ्य तो प्रमाणित होता है कि प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 84 का रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 86 में स्थित रास्ता का राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आराजी खसरा नम्बर 86 की खातेदारी के बारे में राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करते है तो पाते है कि खसरा नम्बर 86 की खातेदारी बुद्ध भगोली कपूरसिंह पि.जवाना हि.ब. 3/128, धर्मो पत्नि स्व. सुघडिया साहबसिंह पुत्र सुघडिया, हि.ब. 1/128, नानगराम रामसिंह पि. चिम्मन हि.1/3 रामजीलाल रामरूप पि.जोहरी हि.ब. 1/24, पदम धनीराम पि. हरभान हि.ब. 1/24 मोहरसिंह पुत्र रंगे हि. 1/8 कमल पुत्र गंगाधर हि. 1/32 रामप्रसाद पुत्र सुंखचन्द हि. 1/8, रामधन जगदीश चेतराम पि.भंवर हि. 1/4, [illegible] हीरा, हीरासिंह पुत्र हीरा हि. 1/12 [illegible] हि. 1/24, भूरसिंह [illegible] हरिकिशन हि. 1/24 [illegible]

[illegible] दिनांक 13-10-17 के साथ प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन करते है तो पाते है कि आराजी खसरा नम्बर 158 रकबा 0.14 हैक्टययर गै.मु.रास्ता है। भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 84 में प्रार्थी ने पक्का आवास बना रखा है। उक्त आराजी तथा गै.मु. रास्ता के मध्य ख. नं. 86 स्थित जिसमें प्रार्थी स्वंय सहखातेदार है। इस रिपोर्ट से यह तथ्य सामने आता है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 84 मे मकान बने हुये है जहां पर प्रार्थी निवास करता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि किसी काश्तकार को उनकी खातेदारी की जोत तक पहुंचने के लिये रास्ता का अन्य कोई विकल्प नहीं हो तो अन्य खातेदारों की कृषि भूमि में से कीमतन रास्ता उपलब्ध करवाया जा सकता है किन्तु यहां पर यह स्थिति नहीं है। प्रार्थी की आराजी खसरा 84 कृषि उपयोग में नहीं आ रही है। इसके अलावा प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के मद संख्या 4 में यह अंकित किया है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 86 में मौजूद रास्ते का उपयोग उपभोग करता रहे। इस प्रकार प्रार्थी के पास रास्ता उपलब्ध है तथा आराजी खसरा नम्बर 86 में प्रार्थी स्वयं भी सह–खातेदार है। इसलिये इस प्रकरण पर राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधान लागू नहीं होते है। इसलिये प्रकरण में प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिका

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज पप्पूराम बनामबनाम साहबसिंह वगैरा मु. सं.

करवाने या आराजी खसरा नम्बर 86 में स्थित रास्ता की भूमि को राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश नहीं दिये जा सकते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजसथान काश्तकारी अधिनियम प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30–09–19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)